राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल , ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नः 0141- 2715565 E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/औ.सि./ F-41 /शिक्षक परिचय पत्र दिशा-निर्देश/2019-20/ 9446 दिनांक :- 20/1/2020

शिक्षक परिचय–पत्र दिशा निर्देश 2019–20

1) प्रस्तावनाः–

शिक्षित समाज एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ–साथ शिक्षा से वंचित बच्चों एवं समुदाय को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की विद्यालय के साथ–साथ समाज के रचनात्मक कार्यों एवं शैक्षिक क्रिया–कलापों में भागीदारी बढ़ी है। विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाली बाल सभाओं अथवा अन्य रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखकर समुदाय में शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019–20 में राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को **'शिक्षक परिचय पत्र'** प्रदान किये जाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया है।

2) शिक्षक परिचय पत्र मुद्रण कार्यवाही विवरणः–

- **शिक्षकों / संस्था प्रधानों को दिये जाने वाला परिचय पत्र जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर उपलब्ध करवाये जाने है।**
- **जिला परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षरित परिचय पत्र जारी किये जायेंगे।**
- **मॉडल स्कूल एवं संस्कृत विभाग के विद्यालयों के शिक्षकों/संस्था प्रधानों को परिचय पत्र उपलब्ध नहीं करवाये जाने है।**
- जिला कार्यालय द्वारा परिचय पत्र उपापन नियमों (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules. 2013) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मुद्रित करवाकर उपलब्ध करवाये जाने है।
- राज्य में शिक्षकों/संस्था प्रधानों को उपलब्ध करवायी जाने वाली शिक्षक परिचय पत्र की एकरूपता को ध्यान में रखते हुये परिचय पत्र का प्रारूप, कार्ड, डोरी एवं होल्डर के सामान्य मार्गदर्शक बिन्दु **परिशिष्ट–01** पर उपलब्ध है।
- कार्ड पर मुद्रित होने वाला विवरण पीईईओ / शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के संस्था प्रधान से प्रमाणिकरण उपरान्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्राप्त कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों से प्रमाणित सूचना प्राप्त करने के लिये जिला परियोजना समन्वयक स्वयं के स्तर पर आवश्यक निर्देश प्रदान कर व्यवस्था कर सकेंगे।
- परिचय पत्र मुद्रण पूर्व जिला कार्यालय द्वारा शिक्षकों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट की जाये।

3) शिक्षक परिचय पत्र प्रारूप सामान्य विवरणः–

- **शिक्षक परिचय पत्र के मुख्य पृष्ठ पर** शिक्षक की रंगीन फोटो, शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि व विद्यालय का नाम मय जिला, ब्लॉक, ग्राम एवं यू–डाइस कोड अंकित किया जायेगा।
- मुख्य पृष्ठ के अन्त में परिचय पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर अंकित किये जायेंगे।
- **शिक्षक परिचय पत्र के पृष्ठ भाग पर** पिता / पति का नाम, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि, कार्मिक आई.डी., ब्लड ग्रुप एवं मोबाइल नम्बर, घर का स्थाई पता अंकित किया जायेगा।
- समस्त सूचना सेवा पुस्तिका रिकार्ड के अनुसार होनी चाहिए। अतः आवश्यक है कि पहचान पत्र पर अंकित किये जाने वाले तथ्यों की जांच सेवा पुस्तिका से अवश्य कर ली जाये।

www.rajteachers.com

- **यह पहचान पत्र राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों /संस्था प्रधानों को ही जारी किये जायेंगे। कार्यालयों में कार्यरत/प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को इस राशि से पहचान पत्र जारी नहीं किया जाये।**
- जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अवधि एक वर्ष से कम है, उन्हें परिचय पत्र जारी नहीं किया जाये।
- शिक्षक का स्थानान्तरण होने, सेवानिवृत्ति, सेवा परित्याग की स्थिति में शिक्षक पहचान पत्र संस्था प्रधान द्वारा वापिस जमा किया जाये।
- परिचय पत्र के दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

4) वित्तीय प्रावधानः–

- समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019–20 में प्रोजेक्ट नवाचार (Project Innovation) के अन्तर्गत शिक्षकों हेतु **'शिक्षक परिचय पत्र'** का प्रावधान रखा गया है।

गतिविधि	वित्तीय स्वीकृति लाखों में
शिक्षक आईडी कार्ड (प्रारम्भिक शिक्षा सैटअप)	103.077
शिक्षक आईडी कार्ड (माध्यमिक शिक्षा सैटअप)	51.973
योग	**155.050**

5) वित्तीय व्यय हेतु निर्देशः–

- परिशिष्ट–1 पर दिये गये वित्तीय प्रावधान में से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाये। किन्तु शिक्षक संख्या में वर्तमान वास्तविक संख्या के अनुसार लक्ष्य को अधिक अथवा कम किया जा सकता है।
- **राज्य के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रति शिक्षक, प्रति परिचय पत्र हेतु अधिकतम व्यय 30/– रूपये निर्धारित किया जाता है।**
- **राज्य के समस्त शिक्षकों / संस्था प्रधानों को शिक्षक परिचय पत्र उपलब्ध करवाये जाने है।**
- विद्यालय को इस गतिविधि हेतु उपलब्ध करवाई जा रही राशि का उपयोग शिक्षक पहचान पत्र के लिये ही किया जाना है।
- इस गतिविधि में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
- **शिक्षक पहचान पत्र की प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का इन्द्राज जिला कार्यालय की रोकड़ बही में किया जावे एवं बिल वाउचर संधारित किये जाये।**
- गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये बजट का सत्र 2019–20 में उपयोग किया जाकर निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- **राशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जाये।**

(अभिषेक भगोतिया)
राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/औ.शि./ /शिक्षक परिचय पत्र दिशा–निर्देश/2019–20/ 3446 **दिनांक :** 20/1/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
5. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र (MPR) में अवगत करावें।
7. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय जिला.................. शिक्षक परिचय पत्र
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में जिला .... को शिक्षक परिचय पत्र मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

www.rajteachers.com

Number of Teacher & Financial Target
For Teacher ID Card : 2019-20

SNo.	District	Elementary		Secondary		Total	
		Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	AJMER	6393	3.197	8180	4.090	14573	7.287
2	ALWAR	9829	4.915	1969	0.985	11798	5.899
3	BANSWARA	8086	4.043	2561	1.281	10647	5.324
4	BARAN	3986	1.993	1346	0.673	5332	2.666
5	BARMER	15202	7.601	2958	1.479	18160	9.080
6	BHARATPUR	5642	2.821	4379	2.190	10021	5.011
7	BHILWARA	9495	4.748	5534	2.767	15029	7.515
8	BIKANER	5854	2.927	2879	1.440	8733	4.367
9	BUNDI	3803	1.902	4855	2.428	8658	4.329
10	CHITTAURGARH	5830	2.915	2177	1.089	8007	4.004
11	CHURU	4545	2.273	2623	1.312	7168	3.584
12	DAUSA	4599	2.300	2486	1.243	7085	3.543
13	DHAULPUR	3706	1.853	3281	1.641	6987	3.494
14	DUNGARPUR	6812	3.406	1952	0.976	8764	4.382
15	GANGANAGAR	5559	2.780	3908	1.954	9467	4.734
16	HANUMANGARH	3520	1.760	3460	1.730	6980	3.490
17	JAIPUR	10741	5.371	4964	2.482	15705	7.853
18	JAISALMER	3576	1.788	3084	1.542	6660	3.330
19	JALOR	6554	3.277	3987	1.994	10541	5.271
20	JHALAWAR	5864	2.932	2862	1.431	8726	4.363
21	JHUNJHUNUN	4234	2.117	1979	0.990	6213	3.107
22	JODHPUR	10288	5.144	1892	0.946	12180	6.090
23	KARAULI	4275	2.138	1561	0.781	5836	2.918
24	KOTA	3449	1.725	4579	2.290	8028	4.014
25	NAGAUR	9441	4.721	2274	1.137	11715	5.858
26	PALI	6549	3.275	3211	1.606	9760	4.880
27	PRATAPGARH	4353	2.177	1910	0.955	6263	3.132
28	RAJSAMAND	5806	2.903	2264	1.132	8070	4.035
29	S.MADHOPUR	3048	1.524	1979	0.990	5027	2.514
30	SIKAR	5746	2.873	5263	2.632	11009	5.505
31	SIROHI	2992	1.496	3252	1.626	6244	3.122
32	TONK	4486	2.243	1658	0.829	6144	3.072
33	UDAIPUR	11891	5.946	2679	1.340	14570	7.285
	Grand Total	**206154**	**103.077**	**103946**	**51.973**	**310100**	**155.058**

www.rajteachers.com

शिक्षक परिचय पत्र का प्रारूप

पहचान पत्र का मुख्य भाग –

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

पहचान पत्र

शिक्षक की नवीन रंगीन फोटो

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

....

पद : ....

जन्म तिथि : ....

हस्ताक्षर
अधिकारी का पद

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग –

विद्यालय : ....

....

यू डाइस : ....

कार्मिक आईडी : ....

ब्लड ग्रुप : ....

घर का स्थाई पता : ....

फोन /मोबाइल नं0 : ....

परिचय पत्र का प्रारूप तथा विशिष्टता निम्नानुसार होंगी –

- ✓ **आई कार्ड हेतु उपयोग की जाने वाली वाली पीवीसी शीट की विशिष्टता** – एन्टीरब्ड, यू.ई प्रोटोक्टिंग, एक्सीलेन्ट लैमिनेटेड, माइक्रोन पीवीसी कार्ड मिनिमन 700 माईक्रोन, मल्टीकलर प्रिन्टिंग बोथ साईड।
- ✓ **आई कार्ड डोरी की विशिष्टता** – डोरी की साईज़ 25 to 35mm कुल लम्बाई 36 इन्च विथ हुक।
- ✓ **होल्डर की विशिष्टता** – प्लास्टिक कार्ड होल्डर विथ हुक।

www.rajteachers.com